पत्र संख्या-स्था-6सामान्य विविध पत्रावली-94(भाग-3)/2025-26/ 4271 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 02 दिसम्बर, 2025

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश(जोन-गौतमबुद्ध नगर,
गाजियाबाद-द्वितीय, लखनऊ-प्रथम, कानपुर-प्रथम को छोड़कर)।

विषय:- आधार कार्ड की अनुमन्यता जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में न होने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक जनशक्ति नियोजन प्रभाग(नियोजन विभाग), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-392/27/7-363/107944/ज0नि0प्र0/2024 दिनांक 24.11.2025(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ उपनिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-16013/4/2020-RO-LK/5416 दिनांक 31.10.2025 की प्रति संलग्न करते हुए अवगत कराया गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। अतः राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में जनशक्ति नियोजन प्रभाग(नियोजन विभाग), उ0प्र0 शासन के उक्त पत्र दिनांक 24.11.2025 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि पत्र में "आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने" सम्बन्धी निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि(विभागीय वेबसाइड पर)।

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 01-12-2025
18:18:07

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त(प्रशासन)राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर आयुक्त, राज्य कर, जोन-गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद-द्वितीय, लखनऊ-प्रथम व कानपुर-प्रथम को उक्त पत्र दिनांक 24.11.2025 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
3. संयुक्त आयुक्त(संग्रह/स्थापना/आई0टी0), राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. पटल प्रभारी-स्था0-5(क)(ख)(ग)/4(क)(ख)(ग)(घ)/3(क)(ख)(स्था0अराज0अनु0), राज्य कर, मुख्यालय।

संलग्नक:-यथोपरि(विभागीय वेबसाइड पर)।

Digitally signed by
RAVI SHEKHAR SINGH
Date: 02-12-2025
11:40:55

(रवि शेखर सिंह)
संयुक्त आयुक्त(स्था0अराज0),
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 392/21/7-363/107944/ज0नि0प्र0/2024

प्रेषक,

**विशेष सचिव,**
नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तर प्रदेश शासन।

जनशक्ति नियोजन प्रभाग (नियोजन विभाग) लखनऊ दिनांकः 24 नवम्बर, 2025

**विषयः आधार कार्ड की अनुमन्यता जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में न होने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उप निदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्रांकः16013/4/2020-RO-LKO/5416 दिनांक 31.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। तत्क्रम में राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त सम्बन्ध में अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

Digitally signed by
AMIT SINGH BANSAL
भवदीय,
Date: 24-11-2025
16:31:17

(अमित सिंह बंसल)
विशेष सचिव।

**पत्रांक एवं दिनांक यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. उप महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0 क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।

इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू०आई०डी०ए०आई०)
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Government of India
Ministry of Electronics &IT
Unique Identification Authority of India (UIDAI)
Regional Office, Lucknow

**पत्रांक : 16013/4/2020-RO-LKO** /5416 **दिनांक:**31**.10.2025**

क्रमांक 830/ज०नि०प्र०/2025
दिनांक 04/11/2025

सेवा में

निदेशक
जन शक्ति नियोजन विभाग
उ0 प्र0 ।

**विषय:** आधार के जन्म तिथि का प्रमाण न होने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या **16013/4/2020-RO-LKO/2592 दिनांक. 05 जून 2025** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नही है । तथापि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा अभी भी आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा रहा है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों को उक्त विषय में अवगत कराते हुए निर्देशित करें कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए, आधार कार्ड जन्म तिथि का अनुमन्य प्रमाण नही है ।

04/11/2025

भवदीय

(आदित्य प्रकाश वाजपेयी)
उप निदेशक



Scanned with CamScanner